एम. पी. राज्य सरकार व अन्य

बनाम

शंकरलाल

13 दिसंबर, 2007

[एस.बी सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.]

*सेवा कानून- जीवन निर्वाह भत्ता-विलंबित भुगतान-प्रभाव-निलंबन-विभागीय कार्यवाही-कर्मचारी की गैर-भागीदारी-***एक तरफा** *कार्यवाही में, कर्मचारी को दुराचार का दोषी पाया गया- सेवा की समाप्ति-प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने माना कि कर्मचारी स्वयं जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार था।- उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जीवन निर्वाह भत्ते का विलंबित भुगतान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था।- अपील में, अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय के लिए इस निर्णय पर पहुंचना आवश्यक था कि क्या जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नही किया जाना कर्मचारी के लिए पूर्वाग्रह कारित किया जाना था- इसलिए मामला, उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया-मध्य प्रदेश मौलिक नियम-आर. 53- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।*

उत्तरदाता-कर्मचारी को आदेश दिनांकित 04-09-1982 द्वारा निलंबित कर दिया गया था। आदेश में यह निर्धारित किया गया था कि जीवन निर्वाह भत्ता मध्य प्रदेश मौलिक नियम के नियम 53 की शर्तों के अनुसार किया गया था। विभागीय कार्यवाही के दौरान, अठारह तिथियों में से, प्रतिवादी ने केवल पाँच तिथियों को सुनवाई में भाग लिया। इस प्रकार एकतरफा विभागीय कार्यवाही में वह दोषी पाया गया तथा परिणामतः उसकी सेवाएं बर्खास्त कर दी गई। उत्तरदाता ने जनवरी में 04-09-1982 से 20-09-1982 की अवधि के लिए अपना जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त कर लिया तथा सितंबर, 1984 तक का भुगतान फरवरी 1987 में किया गया था। बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ विभागीय अपील खारिज कर दी गई। उसके द्वारा दायर मूल आवेदन में, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अनुशासिनक अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है। जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान नही किये जाने के सवाल पर, यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी स्वयं देरी से भुगतान के लिए जिम्मेदार था। रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नही किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्घातों का उल्लंघन है।

इस न्यायालय में की गई अपील में, अपीलार्थी-राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का आदेश गलत था क्याेंकि जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान न करने के संबंध में प्रतिवादी ने कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लेने में गंभीर त्रुटि की कि पूर्वाग्रह का प्रश्न अप्रासंगिक है। उच्च न्यायालय को आवश्यकता थी कि तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुँचें तथा उसके लिये स्वयं के समक्ष सही प्रश्न रखे ताकि सही निर्णय पर पहुँच सके। [पैरा 16 और 17] [550 बी -ई]

इंद्र भानु गौर बनाम समिति,एम.एम डिग्री प्रबंधन कॉलेज और अन्य **[2004] 1 एस.सी.सी 281, पर भरोसा किया।**

जगदम्बा प्रसाद शुक्ला बनाम यू.पी. राज्य और अन्य, **[2000] 7 एससीसी 90, विभेदित।**

यू.पी. राज्य वस्त्र निगम बनाम पी.सी. चतुर्वेदी **[2005]8 एससीसी 211 संदर्भित किया गया।**

2. प्रतिवादी, निर्विवाद रूप से, दुराचार कारित करने का दोषी पाया गया। न्यायाधिकरण द्वारा तथ्य का निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रत्यर्थी स्वयं को निर्वाह भत्ते के प्राप्त न होने के लिये धन्यवाद देना था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा निर्वाह भत्तें के वितरण के लिए सभी संभावित कदम उठाये गये। [पैरा 18] [550 एफ, जी]

3. **मामले के विशिष्टत तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि मामला उच्च न्यायालय को नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेषित किया जाता है तो न्यायहित में सहायक होगा। उच्च न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचनें के लिये कि क्या निर्वाह भत्ते का भुगतान न करने से उत्तरदाता को कोई पूर्वाग्रह कारित हुआ है, मामले का अभिलेख देख सकता है यदि न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है कि प्रतिवादी स्वयं इसके लिए जिम्मेदार था। हालाँकि, इस मामले के विशिष्टत तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी को 50,000 रूपये की राशि का भुगतान मुकदमेबाजी की लागत के तौर पर करने का निर्देश राज्य को दिया जाता है। [पैरा 19 और 20] [550 एच; 551 ए, बी,सी]**

ओ.पी गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य, **एआईआर (1987) एससी 2257 संदर्भित किया गया।**

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकारः सिविल अपील सं. 587/2005

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के रिट याचिका संख्या 1497/2002 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15-09-2003 से।

अपीलार्थी के लिए विभा दत्ता मखीजा।

उत्तरदाता शंकर लाल स्वयं उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

एस.बी. सिन्हा, जे.

1. उत्तरदाता 25-09-1991 को लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसे 01-01-1979 को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया।

2. उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। उसे आदेश दिनांक 04.09.1982 के आधार पर निलम्बित किया गया। निलंबन आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि उसे जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान मौलिक नियमों के नियम 53 के अनुसार किया जाएगा। 19-06-1982 को या उसके आसपास उन्हें कटनी से बरही स्थानांतरित कर दिया गया। निलंबन का आदेश पारित होने के बाद उसने बरही में उपस्थिति नही दी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें 05-10-1983 को निर्वाह भत्ता लेने के लिये यह अंकित करते हुये संचार जारी किया गया किः

"आपको अधीक्षक अभियंता पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) जबलपुर सर्कल, जबलपुर के आदेश संख्या 1164/ई-11-19/74 दिनांकित 04-09-1982 के माध्यम से निलंबित कर दिया गया है। 04-09-1982 और आपको निलंबन आदेश भेजा गया था, लेकिन आप ने इसे लेने से मना कर दिया।

(2) एसईजेसी द्वारा आरोप पत्र नम्बर 2067/ई-11-19/74 दिनांकित 04-09-1982 के माध्यम से जारी किया जाकर चपरासी और 2 उप

अभियंता के माध्यम से भेजा गया, लेकिन आपने इसे लेने से इनकार कर दिया।

(3) आपकी विभागीय कार्यवाही के जाँच अधिकारी कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी (ई/एम) खण्ड जबलपुर ने विभागीय कार्यवाही का सामना करने के लिए नोटिस दिया, लेकिन आपने इसे लेने से इनकार कर दिया है।

कृपया उपरोक्त पत्रों को उनके अधिकारी से लेने की व्यवस्था करें और अधोहस्ताक्षरित को प्रस्तुत करे, ताकि निलंबन भत्ता और अन्य देय राशि की मंजूरी के लिए इस अधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सके।

कृपया निलंबन के बाद बरही मुख्यालय के बरही उपखंड में उपस्थिति नहीं देने के बारे में भी बताएँ और यह भी बताये कि बरही में आपकी अनुपस्थिति बरही मुख्यालय से जानबूझकर अनुपस्थिति क्यों नहीं मानी जाकर तदनुसार कार्रवाई की जावे।

3. कुछ दिनों के लिए, अर्थात् 02.11.1983, 22.11.1983, 09.12.1983 और 20.01.1984 को उन्होंने विभागीय कार्यवाही में भाग लिया। उन दिनों में, विभाग की ओर से कुछ गवाहों का परीक्षण और प्रतिपरीक्षण करवाया गया। लेकिन 24.02.1984 को वह अनुपस्थित रहे। 12.03.1984 को एक तार भेजकर उसे अपने बचाव के गवाहों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। उन्होंने इसका पालन नहीं किया। उन्होंने

29.03.1984 को विभागीय कार्यवाही में भाग भी नहीं लिया। 19.04.1984 को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए एक और मौका दिया गया, लेकिन उस पर भी उक्त तिथि पर वह उपस्थित नहीं थे। हालाँकि वह 05.05.1984 को मौजूद थे, लेकिन यह कहते हुए उक्त कार्यवाही में सुनवाई में भाग नहीं लिया कि उनके द्वारा इस अदालत में एक अपील दायर की गई है।

हम रिकॉर्ड में रख सकते हैं कि ऐसी कथित एस.एल.पी की न तो कोई संख्या दर्ज की गई है और न ही पंजीकृत की गई है, हालांकि प्रत्यर्थी के अनुसार, जो हमारे सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ है, उक्त एसएलपी अभी भी लंबित है।

4. बाद की तारीखों पर, उन्होंने खुद को अनुपस्थित कर लिया और इस प्रकार, जाँच कार्यवाही में भाग नहीं लिया। सुनवाई के लिए निर्धारित 18 तिथियों में से प्रतिवादी केवल पाँच दिन उपस्थित था। उपरोक्त स्थिति में, उसके विरूद्ध एकतरफा विभागीय कार्यवाही अमल लाकर उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में उन्हें दोषी पाया गया। हम यह भी रिकॉर्ड में रख सकते हैं कि उसने जनवरी 1985 में 04-09-1982 से 20-09-1982 की अवधि के लिए अपना जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त कर लिया तथा सितंबर, 1984 तक का भुगतान फरवरी 1987 में किया गया था। हालाँकि उनकी सेवाओं को आदेश दिनांकित 28.05.1985 द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

प्रत्यर्थी के निर्वाह भत्ते की राशि 14.06.1985 को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया था।

5. उन्होंने इसके खिलाफ एक अपील दायर कि जो कि मुख्य अभियंता द्वारा बतौर अपीलीय प्राधिकारी 15.11.1999 को खारिज कर दिया गया।

6. उनके द्वारा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया गया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एक प्रश्न निर्वाह भत्ते के भुगतान नही किये जाने के संबंध मे उठाया गया। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में राय दीः

"इसलिए निर्वाह भत्ता के भुगतान में देरी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार है, न कि उत्तरदाता।"

7. न्यायाधिकरण के समक्ष उनके द्वारा उठाए गए अन्य तर्क भी स्वीकार नहीं किया गया। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि जांच अधिकारी का निष्कर्ष विभागीय जाँच में प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित होने के कारण, अनुशासनिक अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का मामला नही है।

8. अपीलार्थी द्वारा उक्त के विरुद्ध पुनः जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1497/2002 प्रस्तुत की गई, जिसमें यह कहते हुये उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया

कि निर्वाह भत्ते का भुगतान न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हैः

"न्यायाधिकरण ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि न्यायाधिकरण या न्यायालय सजा की समीक्षा करने के लिए अपीलीय मंच नहीं हैं। हालाँकि, इस तथ्य को हाशिए पर नहीं डाला जा सकता है क्योंकि यह मामले की जड़ तक जाता है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से संबंधित है, कि जब तक कि अपचारी कर्मचारी को निर्वाह भत्ता उचित समय पर नही दिया जाता है तब तक वह विभागीय जांच में अपने मामले का बचाव करने के लिए उचित कदम कैसे उठा सकता है। वर्तमान मामले में, वह अवधि जिसके दौरान निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया गया था जो 04.09.1982 से 13.11.1984 तक काफी अधिक था।

उपरोक्त पूर्वनिर्धारित कारणों के आधार पर, हम न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा पारित याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने वाला आदेश भी अपास्त करते है। एतद्द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं पुनः स्थापित किए जाने का निर्देश दिया जाता है। हालाँकि पूरे तथ्यों और आस पास की परिस्थितियों को देखते हुए, हम बकाया वेतन दिलाया जाना उचित नहीं समझते हैं।"

9. सुश्री विभा दत्ता मखीजा, विद्वान वकील जो राज्य की ओर से पेश हुईं है, ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित

करने में गंभीर त्रुटि की क्योंकि उत्तरदाता ने निर्वाह भत्ता का भुगतान न होने के संबंध में कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया है।

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, ने तर्क दिया कि निर्वाह भत्ते का भुगतान न करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है और इस दृष्टिकोण में, यह अपीलार्थी की ओर से उक्त भत्ते का भुगतान करना अनिवार्य था।

11. मध्य प्रदेश मौलिक नियमों के नियम 53 में प्रावधान है कि निर्वाह भत्ता एक ऐसे कर्मचारी को दिया जाना चाहिए जिसे निलंबन के तहत रखा गया। निर्वाह की अपर्याप्त मात्रा के भुगतान बाबत इस न्यायालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गई है [देखे, *आो.पी गुप्ता बनाम भारतसंघ और अन्य,* एआईआर(1987)एससी 2257]

12. इस प्रकार, यह विवाद में नहीं है कि निर्वाह भत्ता भुगतान की प्राप्ति के लिए सभी सुविधाएँ अपचारी अधिकारी को दिया जाना चाहिए।

13. निर्वाह भत्ता के भुगतान के संबंध में लगभग समान प्रश्न एक अलग तथ्य व परिस्थिति में इस न्यायालय के समक्ष *जगदम्बा प्रसाद शुक्ला बनाम यू.पी और अन्य* में आया, जिस में यह राय दी गई थीः

"6 अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय यह अवलोकित करने में इस मामले में सही नहीं था कि आग्रह की गई मांग का आधार

रिट याचिका में नहीं लिया गया था। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने निर्णय के अंतिम भाग में यह अवलोकित किया किः

"पहली बार, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में यह आधार लिया कि वह क्योंकि उसे निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया गया था इसलिए वह विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके।"

अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त आग्रह पहले उच्च न्यायालय और फिर हमारे सामने, भी उठाया गया था, और इससे पहले भी यू.पी लोक सेवा न्यायाधिकरण और इससे पहले भी अधिकारियों के समक्ष उठाया गया था। यू.पी लोक सेवा न्यायाधिकरण ने इस पर विचार किया और मामले के तथ्यों पर न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया किः

"इसलिए, वे निर्णय जहां व्यक्ति निर्वाह भत्ते का भुगतान न होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थ था और जिसके परिणामस्वरूप, की जा रही जांच दूषित होगी, मामले पर लागू नहीं होगी।"

इसके अलावा, दिनांक 22.01.1979 को भेजा गया कारण बताओे नोटिस के जवाब में, अपीलार्थी ने विशेष रूप से कहा कि उसे अपने वेतन और निलंबन भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है जिसे रोका नहीं जा सकता है और इस तरह से उसे धन की कमी के कारण गोरखपुर या कहीं और पहुंचने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा किः

"आवेदक ने कई बार उसका वेतन और निलंबन भत्ता आहरित करने के लिए अनुरोध किया है, लेकिन वह आहरित नहीं हो सका और आवेदक को भेज दिया जो कि उसके कहीं भी उपस्थित होने के लिए उसकी बीमारी तथा चिकित्सा परिचारक की सिफारिशों के खिलाफ होने से एक गंभीर बाधा थी।"

निर्वाह भत्ते के भुगतान के लिए अपीलार्थी का अनुरोध पुलिस अधीक्षक, रेलवे, गोरखपुर खंड, गोरखपुर को भेजे गए पत्र दिनांकित 31.01.1978 में भी निहित है। उक्त पत्र में अपीलार्थी का पता भी है। अपीलार्थी का पता उत्तरदाताओं को उनके द्वारा भेजे गए विभिन्न पत्रों में भी निहित है। यह आश्चर्यजनक है कि उत्तरदाता अपीलार्थी को कारण दर्शाएँ नोटिस सहित अन्य सभी संचार कर सकते हैं लेकिन जहाँ तक निर्वाह भत्ते के भुगतान का संबंध है, यह आधार लिया गया है कि अपीलार्थी ने अपना पता नहीं बताया और इसलिए, राशि नहीं भेजी जा सकी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, अपीलार्थी को निलम्बन की तारीख से हटाने तक निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि धन की कमी के कारण अपीलार्थी ने जांच स्थल पर पहुँचने में कठिनाई व्यक्त की थी।

8. नियमों के अनुसार निलम्बन के दौरान एक कर्मचारी को निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाना इनाम देना नही है। यह एक हक है। एक

कर्मचारी निर्वाह भत्ता भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। निलंबन की अवधि के दौरान अर्थात निलंबन से हटाने तक, निर्वाह भत्ते का भुगतान न करने के लिए कोई उचित आधार नहीं बनाया गया है। जांच में नहीं आने का एक कारण जो कि अधिकारियों को दिया गया वह वित्तीय संकट था तथा दूसरा कारण अपीलार्थी की बीमारी थी। कारण बताआे नोटिस के जवाब में अपीलार्थी द्वारा कहा गया है कि भले ही वह एक जांच में चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध उपस्थित होता लेकिन निर्वाह भत्ते का भुगतान न होने के कारण वह धन की कमी के कारण उपस्थित होने में असमर्थ था। विभागीय जाँच में अपीलार्थी को अपना बचाव करने के लिए उचित अवसर नही दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। इस प्रकार, विभागीय जांच और सेवा से हटाने के परिणामिक आदेश को रद्द कर दिया जाता है।"

14. हालाँकि, हम यह *इंद्र भानु गौर बनाम समिति, एमएम डिग्री कॉलेज प्रबंधन और अन्य* [2004]1एससीसी281, में इस न्यायालय की एक पीठ ने राय दी कि जब अपचारी अधिकारी को निर्वाह भत्ता लेने के लिए एक अवसर दिया गया है, तो यह दिखाया जाना चाहिए कि इसका भुगतान न करने के कारण वह कार्यवाहियों में भाग लेने की स्थिति में नहीं था या उसे कार्यवाही का प्रभावी ढंग से बचाव करने के लिए इसमें कोई अन्य पूर्वाग्रह कारित हुआ है।

15. फिर भी, *यू.पी. राज्य वस्त्र निगम बनाम पी.सी चतुर्वेदी,*[2005] 8 एससीसी 211 में यह निर्धारित किया गया किः

"नियम 41 में प्रावधान है कि निर्वाह भत्ता केवल तभी देय है, जब कर्मचारी, यदि आवश्यक हो, तो कार्यस्थल पर हर दिन खुद को प्रस्तुत करता है। जाहिर है, यह स्थापित करने के लिए कि कर्मचारी के ने खुद को कार्यस्थल पर प्रस्तुत किया, यह स्पष्ट करने के लिये अधिकारियों ने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की शर्त रखी। उत्तरदाता 01 कर्मचारी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि क्यों उसने रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसे तकनीकी या/और अप्रासंगिक मान कर हल्के से दर किनार नहीं किया जा सकता क्योंकि। स्वीकृत रूप से, प्रत्यर्थी 01 कर्मचारी ने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जबकि निलंबन के आदेश अनुसार विशेष रूप से आवश्यक था। उच्च न्यायालय का इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं था कि हस्ताक्षर न करना परिणामी या एक सदभाविक चूक नहीं थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि समय-समय पर नियोक्ता ने उत्तरदाता 01 कर्मचारी को निलंबन के आदेश में अंकितानुसार उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर नहीं करने के परिणामों के बारे में सूचित किया।"

16. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह मानने में एक गंभीर गलती की है कि पूर्वाग्रह का प्रश्न अप्रासंगिक है जहाँ तक इसे गलत तरीके से पढ़ा गया है और गलत व्याख्या की *जगदम्बा प्रसाद शुक्ला* (उपर

वर्णित)। इस संबंध में पूर्ण रूप से कोई कानून निर्धारित नही किया गया। अपीलार्थी को तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई थीं। यह पाया गया कि निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था। यह स्थापित नही किया गया कि निर्वाह भत्ते के भुगतान के संबंध में संचार की तामील अपीलार्थी पर करवायी गई थी तथा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया गया था। यह तथ्य कि न्यायालय द्वारा दी गई राय कि निलम्बन से लेकर सेवा से हटाने की अवधि तक के निर्वाह भत्ते का भुगतान न करने के लिए कोई उचित आधार नहीं बनाया गया है, स्वयं में इस निष्कर्ष पर पहुँचने का आधार हो सकता है कि अपचारी अधिकारी अपनी बीमारी या वित्तीय संकट से जूझ रहा था।

17. इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय को सही निर्णय पर पहुँचने के लिए सही प्रश्न स्वयं के समक्ष रखने के लिये तथ्यों के सही निष्कर्ष पर आना आवश्यक था।

18. प्रतिवादी, निर्विवाद रूप से, स्वयं दुराचार कारित करने का दोषी पाया गया है। हालाँकि, उन्होंने सही या गलत रूप से यह धारणा रखी कि संभवतः मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र के आधार पर इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका पर विचार कर लिया जावेगा। लेकिन, स्पष्ट रूप से, न तो ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था और नही इस न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया गया था।

न्यायाधिकरण द्वारा तथ्य का निष्कर्ष निकाला गया है कि उत्तरदाता को निर्वाह भत्ते की प्राप्ति न होने के लिए स्वयं को धन्यवाद देना था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी ने निर्वाह भत्ता के वितरण के लिए सभी संभव कदम उठाए थे।

19. इसलिए, हमारी राय है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, न्याय हित में यह सहायक होगा यदि विवादित निर्णय को अपास्त कर दिया जाता है और मामला उच्च न्यायालय को नए सिरे से विचार करने के लिए भेज दिया जाता है। उच्च न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचने के लिये मामलें के अभिलेख को देख सकता है कि निर्वाह भत्ते के भुगतान नहीं किये जाने के कारण क्या प्रत्यर्थी को कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है यदि वह न्यायाधिकरण द्वारा दिये इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना उचित पाये कि प्रत्यर्थी स्वयं इसके लिए जिम्मेदार था।

20. हालाँकि, हम निर्देश देते हैं कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, राज्य द्वारा प्रत्यर्थी को मुकदमे की लागत के तौर पर रू. 50,000/- रुपये (रूपये पचास हजार मात्र) की राशि का भुगतान करना चाहिए। राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष सभी प्रासंगिक अभिलेख भी प्रस्तुत करेगा। हम उच्च न्यायालय से मामले का शीघ्र निस्तारण की अपेक्षा पर भी विचार करने का अनुरोध करते है।

21. उपरोक्त निर्देश और अवलोकन के साथ उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अपील अनुज्ञात की जाती है।

के.के.टी.

आंशिक रूप से अपील अनुज्ञात।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शालिनी महर्षि (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।